

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

आदेश सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
22	188 RTA	बोरीना	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
अमरलाल	बनाम	अशोक कुमार	

वकील :- श्री हेमराज बैरवा एडवो **आदेश पत्रक** वकील:-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

15.07.2022	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।	
22.8.22	पत्रावली पेश हुई वकील करी उपा। जर्ज्य करी को फोटो है जो वाद पत्र में उपा। लाल चार्टर से पत्रावली करी उपा। दिनांक 22-9-22 को पेश हो।	
22.9.22	पत्रावली पेश हुई वकील करी उपा। जर्ज्य करी को फोटो है जो वाद पत्र में उपा। लाल चार्टर से पत्रावली करी उपा। दिनांक 17-11-22 को पेश हो।	
17-11-22	पत्रावली पेश हुई वकील करी उपा। वकील करी उपा। जर्ज्य करी को फोटो है जो वाद पत्र में उपा। लाल चार्टर से पत्रावली करी उपा। दिनांक 17-11-22 को पेश हो।	विज्ञापन अशोक

